Case No. 918/2022
State Vs Raysinh

न्यायालयः— अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सैलाना,
जिला—रतलाम (म0प्र0)
(निर्णय दिनांक 11.10.2022)

---

1. Registration No- RCT/918/2022
2- Filing No- RCT/1511/2022
3. CNR No. MP4306-001624-2022
4-Filing Date 11.10.2022

पुलिस आरक्षी केंद्र सरवन जिला रतलाम के अपराध क0—271/2022 अपराध । अंतर्गत धारा— 34(1) आबकारी एक्ट से उद्भूत प्रकरण।

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सरवन,
जिला—रतलाम (म0प्र0) ———— **अभियोगी**

प्रतिनिधित्व द्वारा श्री सुनिल खेर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी

विरूद्ध

1— रायसिंह पिता भीमसिंह बड़ उम्र 29 वर्ष निवासी— ग्राम बंजला थाना सरवन जिला रतलाम (म0प्र0)

अभियुक्त

अभियुक्त सूचना पर स्वयं उपस्थित।

अपराध की तिथि	25.09.2022
प्र0सू0रि0 की तिथि	25.09.2022
आरोप पत्र की तिथि	11.10.2022
आरोपों के विरचना की तिथि	11.10.2022
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	—
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	11.10.2022
निर्णय की तिथि	11.10.2022
दंडादेश, यदि कोई हो, की तिथि	11.10.2022

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
—	रायसिंह	—	—	34 (1) आब.एक्ट	दोषसिद्ध	एक हजार रूपये	—

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
—	—	—

अभियोजन/ प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन :—

स.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	—	—

घ. आवश्यक वस्तुएं :—

स.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1.	कुछ नहीं।	कुछ नहीं।

//<u>निर्णय</u>//

1. अभियुक्त रायसिंह पर म0प्र0 आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत इस आशय का अभियोग कि उसने दिनांक 25.09.2022 को समय 16:30 बजे आरक्षी केंद्र सरवन अंतर्गत पिपली के पास ग्राम बंजला सैलाना जिला रतलाम म0प्र0 में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञा पत्र के अवैध रूप से देशी प्लेन शराब के 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती लगभग 300/— रूपये अपने आधिपत्य में रखी।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2022 को प्रधान आरक्षक गुलाबचंद मीणा थाना को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि, पिपली के पास ग्राम बंजला में व्यक्ति हाथ में प्लास्टिक की केन लिये खडा है। सूचना विश्वसनीय मुखबिर से प्राप्त होनें के कारण राहगीर पंचानों को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुॅचा। जहां एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन लिये खड़ा था। उक्त व्यक्ति के पास मिली मिली केन को चेक करते उसमें देशी हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब 10 लीटर कीमत करीबन 300 लीटर मिली। जिसे पुलिस कब्जा कर नाम पता पुछते उसनें अपना नाम **रायसिंह पिता भीमसिंह बड़ उम्र 29 वर्ष निवासी– ग्राम बंजला थाना सरवन** का होना बताया। उक्त व्यक्ति से शराब रखनें एवं लानें के संबंध में लाईसेंस व परमिट के बारे में पूछे जाने पर उसके द्वारा नहीं होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 34 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होने से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनिमय 1915, का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु धारा 41(1) दप्रसं का नोटिस दिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए। आवश्यक अन्वेषण के पश्चात् अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अपने अभिवाक् में अभियुक्त ने अपराध स्वीकार करते हुए दोषी होना स्वीकार किया है।

निष्कर्ष

4. अभियुक्त की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभिस्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उसने घटना दिनांक समय व स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब रखी। अतः अभियुक्त को म0प्र0 आबकारी अधिनिमय 1915, की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

अंतिम आदेश

5. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा अभियोजन को सुना गया। प्रकरण की परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अपराध की गंभीरता, प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को **न्यायालय उठने तक के कारावास तथा**

अर्थदण्ड राशि 1000/– रूपये (एक हजार रूपये मात्र) से दण्डित किया जाता है।

6. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को सात दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

7. प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुआ शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाए। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

निर्णय हस्ताक्षरित दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही/–

(अभिषेक सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सैलाना, जिला रतलाम (म0प्र0)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/–

(अभिषेक सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सैलाना, जिला रतलाम (म0प्र0)